वि.स. अता.प्र.क्र-1354 [6/8/2025] परिशिष्ट-एक

प्रश्न सं. [क्र. 1354]

लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर भोपाल 462023

क्रं./स्था.-1/राज/जी/न्या.प्रक./406/2025/ 1116 भोपाल, दिनांक 23/07/2025

//आदेश//

श्री पारस नाथ शुक्ला सेवा निवृत्त (मूलपद प्राचार्य उमावि.) प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 8625/2019 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 का आपरेटिव्ह पैरा निम्नानुसार है :-

On going through the pleadings and reply which is placed on record, respondents have not denied the fact that judicial proceedings have not been instituted, therefore, writ petition filed by petitioner is disposed off directing respondents authorities to make payment of full pension and pensionary benefits to petitioner and State Government will be at liberty to proceed against petitioner as per statutory provisions provided for withholding of pension if petitioner is convicted. With aforesaid direction, writ petition is disposed off.

2- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 में संबंधित श्री पारसनाथ शुक्ला को समस्त सेवा निवृत्त स्वत्वों के भुगतान के साथ सम्पूर्ण पेंशन भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये है।

3- श्री पारस नाथ शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पाया गया है कि श्री पारस नाथ शुक्ला (मूलपद प्राचार्य उमावि.) तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के विरूद्व विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन रीवा द्वारा अपराध क्रमांक 162/18 धारा-7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम- 1988 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्व होने के फलस्वरूप म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 99/1736262/2023/20-4 भोपाल, दिनांक 31.01.2024 द्वारा श्री पारस नाथ शुक्ला सेवा निवृत्त (मूलपद प्राचार्य उमावि.) प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को न्यायालय में अभियोजित किये जाने के संबंध में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 06.12.2023 के परिप्रेक्ष्य में अपराध क्रमांक 162/18, धारा-7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अभियोजन संस्थित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4- म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9(6) (बी) (i) (ii) के अनुसार *"आपराधिक कार्यवाही के प्रकरण में उस तिथि से जिस दिन पुलिस अधिकारी को शिकायत अथवा रिपोर्ट की जाती है, जिस पर कि मजिस्ट्रेट संज्ञान में लेता है, और दीवानी कार्यवाहियों के प्रकरण में वह तिथि जब न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है"* न्यायिक कार्यवाही संस्थित मानी जायेगी।

5- म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 64 (1), (ख) में उल्लेखित है कि सेवा निवृत्त तारीख से प्रारम्भ होकर उस तारीख तक तथा उस तारीख को सम्मिलित करते हुए जिसकों कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियॉं समाप्त होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित किये जाए, की कालावधि की अनन्तिम पेंशन, कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थापना वेतन देयक पर निकाली जाएगी और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को संदत की जावेगी।

निरन्तर-2

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

6— प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के पत्र क्रमांक 124—ए, दिनांक 20.02.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री पारसनाथ शुक्ला तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी (वर्तमान में सेवा निवृत्त) के विरूद्व चालान क्रमांक 45/2024 अन्तर्गत धारा—7, 13(1)(डी), 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सीधी की न्यायालय में दिनांक 10.09.2024 को पेश हो चुका है। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

संबंधित श्री पारस नाथ शुक्ला के विरूद्व माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो चुका है। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 64 (1) (क) में दिये गये प्रावधान अनुसार श्री पारस नाथ शुक्ला से.नि. प्राचार्य को अंतरिम पेंशन (90 प्रतिशत) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को पूर्ण विचारोपरांत एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

(प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 23/07/2025

पृष्ठा.क्रं./स्था.—1/राज/जी/न्या.प्रक./406/2025/1117

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलुपर ।
3. कलेक्टर, जिला सीधी म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीधी म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ,विधि प्रकोष्ठ, जबलुपर ,म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीधी म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि श्री पारस नाथ शुक्ला से.नि. तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी की पेंशन प्रकरण एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान समय—सीमा में कराना सुनिश्चित करें एवं प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत कर प्रकरण विलोपित किये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
8. सहायक संचालक, विधि कक्ष (स्थानीय)
9. श्री पारस नाथ शुक्ला से.नि. तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. आर्डर बुक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा)

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश